UPKN010061052026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम), कानपुर नगर।

पीठासीन अधिकारीः शुचि श्रीवास्तव ..... ID–UP 6109

क्रिमिनल प्रकीर्ण वाद संख्या–1347/2026

अनूप पासवान उर्फ अनूप कुमार पुत्र श्री राम नारायण निवासी 61–ए, सराय मसवानपुर थाना रावतपुर, कानपुर नगर ।

बनाम

1. हर्ष कुशवाहा (पार्षद पुत्र) पुत्र स्व० अजय कुशवाहा निवासी 565, शिव नगर मसवानपुर थाना–रावतपुर, कानपुर नगर।

2. मंजू कुशवाहा (पार्षद) पत्नी स्व० अजय कुशवाहा निवासी 565, शिव नगर मसवानपुर थाना–रावतपुर, कानपुर नगर।

3. विवेक त्यागी उपनिरीक्षक, थाना–रावतपुर, पुलिस कमिश्नरेट, कानपुर नगर।

निस्तारण प्रार्थनापत्र धारा 173 (4) बी.एन.एस.एस.

दिनांक–31.07.2026

1– आवेदक दीपक गौतम का संक्षिप्त कथन है कि आवेदक के क्षेत्र की पार्षद महोदया मंजू कुशवाहा का पुत्र हर्ष कुशवाहा बहुत ही अय्याश किस्म का व्यक्ति है जो कि दिन में ही शराब का सेवन करके आये दिन लोगों से गाली गलौज करने लगता है और राह चलती लड़कियों पर छीटा कसी करता रहता है। दिनांक 26.04.2026 को रात्रि लगभग 8:50 पर उक्त हर्ष कुशवाहा पुत्र स्व० अजय कुशवाहा निवासी 565 शिव नगर मसवानपुर कानपुर नगर आवेदक की गली में आकर गाली गलौज कर रहा था। आवेदक ने मना किया तो आवेदक को भी माँ बहन की गाली देने लगा और किसी को फोन करके आवेदक को माँ–बहन की गाली देते हुए कहने लगा कि इस साले पासी अनूप के बहुत दिमाग खराब है, जल्दी से कुछ लोगों को लेकर आ जाओ इस साले पासी के आज दिमाग ठीक कर देगे। जब यह घटना घटित हो रही थी तो मोहल्ले के कई लोग देख रहे थे। इसके अतिरिक्त उक्त घटना आवेदक के घर पर लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे में भी कैद हुई है। इससे पूर्व भी कई बार मोहल्ले के लोगों व क्षेत्र के लोगों के सामने उक्त हर्ष कुशवाहा आवेदक को उसकी जाति का नाम लेकर बुलाने लगता था और कहता था कि साले पासी इधर आओ और जब आवेदक विरोध करता था तो उक्त हर्ष कुशवाहा कहता था कि तुम साले पासी जीवन भर नीच ही रहोगे।

तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता। उक्त हर्ष कुशवाहा अपने माँ के पार्षद होने का नाजायज फायदा उठाकर रौब गाठता रहता है और उसे यह मालूम है कि थाना पुलिस में उसकी माँ के प्रभाव की वजह से कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, इसलिए वह अपनी हरकतो से बाज नहीं आ रहा है। आवेदक ने थक हार कर दिनांक 27.04.2026 को चौकी मसवानपुर के चौकी इंचार्ज महोदय से उक्त घटना की शिकायत की व मुकदमा लिखने के लिये कहा जिसकी जानकारी होने पर हर्ष कुशवाहा की माँ मंजू कुशवाहा ने अपने प्रभाव का दुरूपयोग करते हुए पेश बन्दी में तत्कालीन चौकी इंचार्ज मसवानपुर से मिली भगत करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शिला पट तोड़ने का झूठा मुकदमा आवेदक के ऊपर लिखवा दिया। शिला पट टूटने की बात षडयंत्र के तहत मात्र इस गरज से लिखवाई गयी कि मुकदमा आसानी से लिख जाये व गम्भीर प्रकृति का बन जाये। जब कि शिलापट तोड़ने वाले व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया में तत्काल ही प्रचलित हो गया था। जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आवेदक कही भी मौजूद नहीं है। जब आवेदक ने चौकी इंचार्ज एवं पार्षद व उनके पुत्र की शिकायत उच्च अधिकारियों से की तो तत्कालीन चौकी इंचार्ज महोदय विवेक त्यागी आवेदक के ऊपर समझौते का दबाव बनाने लगे। आवेदक ने दिनांक 27.04.2026 को मसवानपुर चौकी थाना रावतपुर में उक्त लोगो की शिकायत की थी परन्तु पार्षद महोदय के रौब के कारण आवेदक के प्रार्थनापत्र पर कोई कार्यवाही न करते हुए दबाव बनाने की गरज से उसी के ऊपर झूठा मुकदमा झूठी घटना का लिख दिया गया। जब कि विवेचना में पार्षद महोदया की बात झूठी सिद्ध हुई और आवेदक को माननीय मुख्यमंत्री जी के शिला पट तोड़ने के आरोप से मुक्त कर दिया गया। जिससे पूर्णतया सिद्ध होता है कि पार्षद महोदया मंजू कुशवाहा ने झूठे एवं मिथ्या तथ्यों पर षडयंत्र के तहत गम्भीर मुकदमा दर्ज कराने की गरज से झूठा प्रार्थनापत्र दिया गया। इसके उपरान्त आवेदक ने अपने साथ घटित घटना की शिकायत दिनांक 30.04.2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर एवं दिनांक 02.05.2026 को जरिए डाक से श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के समक्ष की परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। आवेदक द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना किए जाने की याचना की गई है।

2– आवेदक की ओर से अपने कथन के सर्मथन में शपथपत्र तथा प्रलेखी साक्ष्य के रूप में जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर, थानाध्यक्ष रावतपुर को प्रेषित प्रार्थनापत्रों की छायाप्रतियां, डाक रसीद, आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली में दाखिल किए गए है।

3– थाने की आख्या के अनुसार कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

4– मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5– प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक ने घटना के समय विपक्षीगण द्वारा आवेदक को जातिसूचक गाली देने का आरोप लगाया है। आवेदक को समस्त तथ्यों की जानकारी है। विपक्षीगण का नाम व पता ज्ञात है। अतः मामलें के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा

482 नम्बर 14443/2022 नरेश कुमार बाल्मीकि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य निर्णीत दिनांकित–17.10.2022 तथा सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 CR L.J 472 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना उचित है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त के आलोक में प्रार्थनापत्र धारा 173 (4) बी एन एस एस को परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाना उचित है।

<u>आदेश</u>

आवेदक अनूप पासवान उर्फ अनूप कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी.एन.एस.एस परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस दिनांक 16.09.2026 को पेश हो।

(शुचि श्रीवास्तव)
(ID–UP 6109)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
दिनांक–31.07.2026 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
कानपुर नगर।

Digitally signed by Shuchi Srivastava
Date: 2026.08.07 15:24:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court